राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आ दे श ::

जोगेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू बनाम् राजस्थान राज्य।

एकलपीठ दाण्डिक विविध द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र
संख्या- 7497/2006 अन्तर्गत धारा-439 दण्ड प्रक्रिया।

आदेश दिनांक:- नववम्बर 27,2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री सुरेश पारीक, अधिवक्ता मय
श्री शरद पुरोहित, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री एम.एल. गोयल, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को आद्योपांत सुना गया। प्रार्थी का प्रथम जमानत आवेदन पत्र दिनांक- 4.7.2006 को निरस्त करते समय प्रार्थी को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह साक्षी महावीर के कथन लेखबद्व हो जाने के उपरान्त पुन: जमानत का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। अब प्रार्थी ने यह द्वितीय जमानत का आवेदन पत्र महावीर प्रसाद (अभि.साक्षी सं.26) के कथन लेखबद्व हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मेरे समक्ष महावीर प्रसाद (अभि.साक्षी सं.26) के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जिसके अवलोकन से प्रकट है कि उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष के केस का समर्थन नहीं किया है और वह पक्षद्रोही घोषित हो गया है। लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी 21.10.2005 से अभिरक्षा में है तथा प्रकरण में अभी 15 साक्षीगण के कथन लेखबद्व होना शेष है, मैं प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डु पुत्र

लक्ष्मण सिंह विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार यदि रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं 25,000/-रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार) की दो सुदृड़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तारीख पेशियों पर उपस्थित होता रहेगा तथा यदि प्रार्थी अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे उपरोक्तानुसार अविलम्ब जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)